## कार्यालय ग्राम पंचायत ..... पाली) पं.स. सुमेरपुर (पाली)

कमांकः— पंचायत / अतिकमण /

दिनांकः– **प्रारूप–1** 

--: स्थगन आदेश एवं नोटिस:--

अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165(3) (The Prevention Of Damage to Public Property Act, 1984)

प्रेषित :–	

प्रकरण संख्या..... वर्ष ......

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि –

(1) आपके विरूद्ध ग्राम ......स्थान / मोहल्ला.....

.....में पंचायत की भूमि/आवागमन के रास्ते/जल निकासी की नाली इत्यादि पर अतिक्रमण करने/अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण करने की शिकायत प्राप्त हुई है। आपका उक्त कृत्य राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165 (3) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

(2) निषेधात्मक आज्ञा – उक्त अतिक्रमण / निर्माण के विरूद्ध निषेधात्मक आज्ञा जारी कर आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमण / निर्माण तत्काल प्रभाव से रोक देवें अन्यथा इस प्रकरण में उक्त अतिक्रमण / निर्माण को हटाने हेतू नियमानूसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) सुनवाई की तारीख – आप उक्त प्रकरण में दिनांक .....को सुबह 11:00 बजें तक भूमि के स्वामित्व / निर्माण से संबंधित कोई मूल (असल) दस्तावेज इत्यादि एवं अपना जवाबदावा पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त म्यादबाद एक तरफा निर्णय कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। सूचित रहे।

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

दिनांक :--

कमांकः— पंचायत / अतिकमण / प्रतिलिपीः—

- 1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी / पुलिस उप अधीक्षक महोदय, सुमेरपुर
- 2. श्री विकास अधिकारी, पं.स. / थानाधिकारी, पुलिस थाना .....
- 3. मौका स्थल / गांव के सार्वजनिक चौक पर सदृश्य चस्पा / रक्षित पत्रावली

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत की सक्षम स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना नियम विरूद्ध है।